Serial No. 10911 Circle:-Patna Book No. :- 1 Deed No. 9676



बिहार BIHAR A 477382

Serial No. 10911 Deed No. 9676

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **02/11/2015** by **Ashwani Kumar**
A Stamp Duty of Rs. **302040**/- and other Fees of Rs. **20500**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **9676** in Book No. **1**, Volume No. **227** on pages from **181** to **195** and has been preserved in total **15** pages in C.D. No. **35** / Year **2015**

Signature with Date
(**Prashant Kumar**)
Registering Officer, **Patna**

Date: 02/11/2015 Token No: 11115 /2015

SCANNED BY
DEO.....

(डिवलपमेंट एग्रीमेंट)

यह इकरारनामा (एग्रीमेंट) आज दिनांक 02.11.2015 ई0 को निम्नांकित पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है–

District Registry Office,Patna

Token Number 11115 | Reg. Year 2015 | Serial Number 10911 | Deed Number 9676

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Mukesh Kumar(Partner)						
Sig.	Mukesh Kumar 2/11/2015						
Presented By	Ashwani Kumar						
Sig.	Ashwini Kumar 2.11.XV						
Executant	Ashwini Kumar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sig.							
Executant	Awani Kumar Sinha						
Sig.	Awani Kumar Sinha 2/11/15						
Identified By	Praveen Kumar						
Sig.	प्रवीण कुमार 2/11/2015						





Ashwini Kumar
2.11.XV

(1) **श्री अश्विनी कुमार** पिता स्व0 श्याम किशोर प्रसाद,

(2) **श्री अवनी कुमार सिन्हा** पिता स्व0 श्याम किशोर प्रसाद,

दोनो का निवास स्थान–उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, थाना–श्रीकृष्णापुरी, जिला–पटना, भारतीय नागरिक, भूखण्ड स्वामीगण (प्रथम पक्ष) (''भूखण्ड स्वामीगण'' प्रथम पक्ष से अभिप्राय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जिसका सम्बन्ध भू–खण्ड स्वामीगण से/ भू–खण्ड स्वामीगण के भू–खण्ड से विधित प्रतिनिधि/ कानूनी वारिसान सदस्य/उत्तराधिकारिगण एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि से अभिप्रेत है।)

एवम्

मेसर्स सुमंगलम कन्स्ट्रक्शन, एक साझेदारी फर्म जिसका कार्यालय–ई–13, पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना–20, द्वारा साझेदार श्री मुकेश कुमार पिता श्री विश्वनाथ सिन्हा,निवास स्थान–मकान नं0–148 डिफेन्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना–800020, थाना–कंकड़बाग, पत्रालय–लोहियानगर, जिला–पटना, भारतीय नागरिक। ''बिल्डर'' या ''डेवेलपर्स'' (द्वितीय पक्ष) (यहाँ ''द्वितीय पक्ष'' से अभिप्राय यह हैं कि उनके उत्तराधिकारी, कार्यालय उत्तराधिकारी एवं चयनित उत्तराधिकारी से हैं, जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष से हैं सम्मिलित किया जाता है)

यह कि प्रथम पक्ष अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड के भूखण्ड स्वामीगण है तथा अनूसूची–1 में वर्णित भूखण्ड सर्वे प्लौट नं0–11 एवं 12 कुल मवाजी–06 कट्ठा अर्थात–8160 वर्गफीट को भूखण्ड स्वामीगण/

M/s Sumanglam Construction
Partner

Mukesh Kumar
2/11/2015

Ashwini Kumar
2.11.15

Avnish Sinha
2/11/15

प्रथम पक्ष के पिता श्याम किशोर प्रसाद पिता स्व0 ईश्वरी प्रसाद, निवासी–लक्ष्मी सागर कॉलोनी, टाउन दरभंगा, थाना एवं जिला–दरभंगा ने एक निबंधित वसीका बिक्रय पत्र के माध्यम से लिखित दिनांक–20.02.1969ई0 एवं रजिस्ट्री दिनांक–14.03.1969 ई0 को श्री केदार नाथ महंथा वल्द स्व0 कृष्णदेव नारायण महंथा,निवासी–कन्हौली गौशाला रोड, टाउन मुजफ्फरपुर, थाना एवं जिला–मुजफ्फरपुर से क्रय किये थे जिसका दस्तावेज सं0–1931, पुस्तक सं0–1, निबंधित निबंधन कार्यालय पटना है और खरीदारी बाद श्याम किशोर प्रसाद अपने खरीदगी सम्पति पर काविज दखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुए स्वयं एवं अपने धर्मपत्नी श्रीमती वीणा प्रसाद, पुत्रबधु डॉ0 बृजवाला सिन्हा एवं पुत्रगण डॉ0 अंजनी कुमार सिन्हा, श्री अश्विनी कुमार (प्रथम पक्ष सं0–1) एवं श्री अवनी कुमार सिन्हा (प्रथम पक्ष सं0–2) के मध्य दिनांक–01.01.1987 ई0 को पारिवारिक व्यवस्था पत्र कर लिये जिसके अनुसार श्री श्याम किशोर प्रसाद को मवाजी–2037 वर्गफीट मिला एवं श्रीमती बृजवाला सिन्हा (पुत्रबधु) को मवाजी–1360 वर्गफीट मिला एवं डॉ0 अंजनी कुमार सिन्हा को मवाजी–1212 वर्गफीट मिला एवं श्री अवनी कुमार सिन्हा (प्रथम पक्ष सं0–2) को मवाजी–339.5 वर्गफीट मिला तथा शेष मवाजी–3538 वर्गफीट भूखण्ड संयुक्त रह गया और सभी पक्षकार उपरोक्त पारिवारिक व्यवस्था पत्र के माध्यम से प्राप्त हिस्से सम्पति पर पर दखल कब्जा में रहकर अपने–अपने नाम से भू–राजस्व रसीद कटवाते चले आते है। समयोपरांत श्याम किशोर प्रसाद का देहान्त दिनांक–21.11.2006 ई0 को तथा श्रीमती वीणा प्रसाद का देहान्त दिनाक–28.02.2011 ई0 को हो गया। पिता एवं माता के स्वर्गवास उपरांत तीनों भाई नामतः डॉ0 अंजनी कुमार सिन्हा, श्री

M/s Sumanglam Construction
Partner

अश्विनी कुमार (प्रथम पक्ष सं0–1) एवं श्री अवनी कुमार सिन्हा (प्रथम पक्ष सं0–2), श्रीमती बृजवाला सिन्हा के हिस्से सम्पति को छोड़कर सम्पूर्ण संयुक्त पैतृक एवं प्रथम पक्ष सं0–2 श्री अवनी कुमार सिन्हा के हिस्से मवाजी–339.5 वर्गफीट को जोड़कर आपस में दिनांक–01.07.2014 ई0 को यादास्त बँटवारा द्वारा बाँट लिये जिसके अनुसार मवाजी–2266.666 वर्गफीट श्री अश्विनी कुमार (प्रथम पक्ष सं0–1) को खास हिस्सा में मिला एवं मवाजी–2266.666 वर्गफीट श्री अवनी कुमार सिन्हा (प्रथम पक्ष सं0–2) को खास हिस्सा में मिला। इसतरह भूखण्ड स्वामी/प्रथम पक्ष अनुसूची–1 में वर्णित सम्पति पर अपने–अपने स्वामित्व एवं अधिकार स्वरूप भूस्वामी के रूप में दखल कब्जा में रहते चले आ रहे है तथा प्रथम पक्षगण अपने–अपने हिस्से सम्पति से संबंधित भू–राजस्व रसीद कटवाते चले आ रहे है और अनुसूची–1 में वर्णित सम्पति पर भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष का पूर्ण स्वामित्व,अधिकार एवं दखल कब्जा प्राप्त है तथा वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के स्वत्वदोष वो ऋणभार से मुक्त हैं तथा नुक्स हकियत बाददैन से पाक साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त जमीन पर भूकम्प अपरोधि बहुमंजिला ईमारत बनवाना चाहते हैं और इस उद्देश्य हेतु इसे उपर वर्णित द्वितीय पक्ष बिल्डर को निम्नलिखित तथ्यों एवं शर्तो पर दिया गया हैः–

1. यह कि प्रथम पक्ष यह घोषणा करते हैं कि यह भूखण्ड पूर्णतः साफ सुथरा अर्थात सिलिंग, एक्युजिसन आदि से मुक्त हैं तथा इन पर किसी तरह का कर्ज, बकाया या ऋणभार नहीं है साथ ही इस जमीन पर किसी अन्य सरकारी विभाग से भी अटैचमेंट या एक्युजिसन से संबंधित कोई सूचना नहीं हैं। इस

M/s Sumanglam Construction
Mukesh Kumar
2/11/2015
Partner

Abhishek Verma
9.11.XV

Ne Singh
7/11/15

जमीन से सम्बंधित किसी प्रकार का कोई केश न्यायालय में नहीं है यह जमीन पूर्णतः बिक्री योग्य हैं और यह भूखण्ड पटना क्षेत्रिय विकास प्रधिकार के मास्टर प्लान को किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है और बहुमंजिला ईमारत के नक्शा पास होने में किसी तरह का बाधा या अड़चन नहीं होगा। प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते हैं कि वे इस भूखण्ड के पूर्णतः मालिक हैं तथा इन्हें बेचने आदि का सभी अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु अभी तक किसी के साथ न तो बेचा हैं, न दान में दिया है, न ही रेहन रखा है, न तो इस तरह का कोई अन्य इकरारनामा (एग्रीमेंट) स्टैंड करता है।

2. यह कि प्रथम पक्ष, इस एग्रीमेंट के बाद, द्वितीय पक्ष एवं इनके स्टाफ, इंजिनीयर, आर्किटेक्ट, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह के सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे उक्त भूखण्ड पर जाने, रहने प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बिल्डिंग मटैरियल जमा करने हेतु एवं अन्य बिकास पूर्व कार्य, जमीन नापने, बौन्ड्री वाल करने हेतु इत्यादि।

3. यह कि प्रथम पक्ष विकास एकरानामा निष्पादित होने के एक सप्ताह के भीतर इस भूखण्ड को द्वितीय पक्ष को पूर्णतः खाली अवस्था में सौंप देंगे साथ ही द्वितीय पक्ष के सही विकास के क्रिया-कलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

4. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते हैं कि उक्त भूखण्ड से संबंधित इस तरह का कोई और एग्रीमेंट किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के साथ नहीं हैं,

M/s Sarangiam Construction
Mukesh Kumar.
2/11/2015

Ashwini Kumar
2/11/15

2/11/15

अगर ऐसा पाया जाता हैं तो द्वितीय पक्ष इस एग्रीमेंट को निरस्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।

5. यह कि दोनो पक्ष नीचे वर्णित शर्तो पर सहमत हैं:–

क) यह कि निर्मित बहुमंजिली इमारत में भूस्वामीगण प्रथम पक्ष का हिस्सा **50 प्रतिशत** (पचास प्रतिशत) एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का हिस्सा **50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत)** तय है जो नीचे वर्णित सम्पति से है।

(ख) यह कि निर्मित बहुमंजिली इमारत के साथ–साथ कार पार्किंग स्पेश नीचली सतरह पर भूखण्ड में **50 प्रतिशत** हिस्सा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष का हिस्सा होगा तथा शेष **50 प्रतिशत** विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का हिस्सा रहेगा जो नीचे वर्णित सम्पति से है।

(ग) यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष प्रत्येक तल्ले पर अपना–अपना हिस्सा लेने के हकदार होंगे जो आपसी सहमती से होगा।

6. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते हैं कि ऊपर वर्णित भूखण्ड स्वामियों के अलावा इसमें और किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नहीं हैं, अगर ऐसा होता भी हैं तो वह शर्त संख्या–5, क–ख के अनुसार सिर्फ प्रथम पक्ष के हिस्से में से ही हिस्सेदारी होगा न कि द्वितीय पक्ष के हिस्सा से यानि कि द्वितीय पक्ष का हिस्सा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

M/s Sarangdam Construction
Mukesh Kumar
8/11/2015

Ashwini Kumar
8.11.XV

Partner
7/11/15

7. प्रथम पक्ष के सभी सदस्यगण मिलकर सामुहिक रूप से इस भूखण्ड पर इस बिल्डर द्वारा भवन निर्माण करवाने हेतु, स्वीकृत होने वाले नक्शे पर हस्ताक्षर करेंगे।

8. प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि समय-समय पर जरूरत पड़ने वाले सभी तरह के पेपर डीड एवं अन्य कागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेंगे।

9. प्रथम पक्ष पुनः सहमत हैं कि अगर निर्माण कार्य में विघ्न या विवाद या प्राकृतिक आपदा के कारण कार्य वाधित होता है जिसके कारण बिल्डर के नियंत्रण से बाहर हो वैसी परिस्थति में जरूरत अनुसार निर्माण अवधि सहमति से बढ़ाई जाएगी।

10. यह कि भूखण्ड पर बहुमंजिलीय इमारत निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृत होने एवं भूखण्ड को खाली अवस्था में सुपूर्दगी उपरांत **02 वर्ष 06 माह (दो वर्ष छः माह)** का समय प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच निर्धारित हुआ है इसके अतिरिक्त **6 माह (छः माह)** का अतिरिक्त **समय निर्माण हेतु** दिया जाएगा ताकि विकासकर्त्ता/द्वितीय पक्ष, भूखण्ड स्वामी/प्रथम पक्ष का हिस्सा निर्मित कर सौंप सके।

11. यह कि बिल्डर अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को सीधे बिक्रय कर, बिक्रय-पत्र निष्पादित कर सकते हैं और इस कार्य में प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार प्रथम पक्ष को

M/s Sumanglam Construction
Mukesh Kumar.
Partner
2/11/2015

Ashwini Kumar
2.11.15

2/11/15

अधिकार होगा कि वे अपने-अपने हिस्से को किसी से बेच सकते हैं या अपने-अपने पास रख सकते हैं।

12. यह कि दोनो पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सबसे उपरी छत, सेट बैंक, सिढ़ी इत्यादि पर सभी रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा और व्यक्तिगत रूप से इस पर किसी का दावा नहीं रहेगा।

13. यह कि दोनो पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस कम्पलेक्श का नाम **"वीणा श्याम अपार्टमेन्ट"** रहेगा।

14. यह कि सभी तरह के खर्चो का निष्पादन इस विकास एग्रीमन्ट के निष्पादन के तिथि से डेवलपर्स यानि कि द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जाएगा परन्तु एग्रीमेन्ट के पहले का बकाया राशि अथवा अन्य प्रकार की जबावदेही प्रथम पक्ष की ही होगी।

15. यह कि बिल्डर के द्वारा कौमन क्षेत्र के लिए, प्रकाश, पानी आपूर्ति के लिए बोरिंग एवं पम्प की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अलावे विधुत एवं जेनरेटर द्वारा विधुत सप्लाई अन्य सदस्यों की तरह प्रथम पक्ष को भी उपलब्ध करायेंगे। विधुत कनेक्शन विधुत विभाग से स्वयं लेवेंगे और प्रथम पक्ष अपने मेन्टेनेंस की राशि अन्य सदस्यों की तरह भी देंगे।

16. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्यवन हो सके। निर्माण

M/s Sumanglam Construction
Partner
2/11/2015

2/11/15

कार्य में लागत पूँजी समावेश द्वितीय पक्ष डेवलपर्स अपने सुविधानुसार करेंगे। पूँजी मुहैया हेतु द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक/ वितीय संस्थान से आर्थिक ऋण निर्मित क्षेत्र के अपने हिस्से को मॉरगेज कर अथवा प्रस्तावित योजना के तहत फ्लैटों/ पार्किंगों के एवज में बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही द्वितीय पक्ष करेंगे। किसी भी हालत में प्रथम पक्ष का भूखण्ड बिल्डर बंधक नहीं रखेंगे तथा द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता नीचे वर्णित सम्पति से संबंधित वह सब भी कार्य प्रथम पक्ष की सहमति एवं अपने स्वविवेक तथा अपने हस्ताक्षर से करेंगे जिसका उल्लेख इस विलेख में नहीं है।

17. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद इस डेभलॉपमेन्ट एग्रीमेन्ट के अनुसार उत्पन्न विवाद लाभांश प्रतिशत के संबंध में निर्मित क्षेत्र के लिए प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच में निष्पादित हुआ उसके लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पक्ष (पंच) की नियुक्ति अविट्रेशन एक्ट 1940 एवं अपार्टमेन्ट एक्ट 2006 तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा।

18. यह कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वारा एसोसियेशन सभी फ्लैट धारियों (फ्लैट मालिकों) को मिलाकर बनाया जायेगा जो इस एसोसियेशन के सदस्य होगें और सभी सदस्य मिलकर अपार्टमेन्ट का रख रखाव करेंगे।

19. यह कि इस वसीका विकास एकरारनामा बिहार अपार्टमेन्ट एक्ट 2006 के तहत निष्पादित एवं निबंधित हुआ है तथा दोनो पक्ष उक्त एक्ट के अनुसार अपने अपने हिस्से के पूर्ण स्वामीगण होगें।

M/s Sumanglam Construction
Partner

20. यह कि भविष्य में यह बहुमंजिली इमारत बनने के बाद अगर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/ पटना नगर निगम/सक्षम पदाधिकारी से पूर्व बने बहुमंजिली इमारत से उपर निर्माण करने की स्वीकृति मिलती है तब इसका निमार्ण कार्य विकासकर्त्ता करेंगे और जो भी खर्च निर्माण में होगा उसका वहन द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता करेंगे। इस अतिरिक्त निर्माण में भी प्रथम पक्ष का हिस्सा 50% होगा।

सिड्यूल

भूखण्ड का विवरण

मवाजी–4533.332वर्गफीट (चार हजार पाँच सौ तेतीस दशमलव तीन तीन दो वर्गफीट) समतुल्य–10.409 डिसमिल परती भूमि, अवस्थित मौजा–राजापुर, (मुहम्मदपुर फाजील उर्फ चैनपुर), परगना एवं सर्वे थाना–फुलवारी, बाद थाना–दीघा, वर्तमान थाना– श्रीकृष्णापुरी, अवर निबंधन कार्यालय एवं जिला निबंधन कार्यालय तथा जिला–पटना, जिसका मूल्यांकन कोड नं0–230, राजस्व थाना नं0–3 (तीन), खाता नं0–01 एवं 14 (एक एवं चौदह), सर्वे प्लौट नं0–12 एवं 11 (बारह एवं ग्यारह) का अंश और सम्पति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) एवं पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत है जिसकी चौहद्दी इस प्रकार हैः–

चौहद्दी

उत्तर – डॉ0 अंजनी कुमार सिन्हा
दक्षिण – श्रीमती उर्मिला देवी
पूरब – बीस फीट चौड़ा सहायक सड़क
पश्चिम – सर्वे प्लौट नं0–10

सम्पति का मूल्य रु 1,02,000/- (एक करोड़ दो लाख दो हजार रुपये)

M/s Sumanglam Construction
Mukesh Kumar
8/11/2015
Partner

Ashwini Kumar
8.11.15

A. Sinha
7/11/15

निम्न गवाहों की उपस्थिति में उभय पक्षों ने इस विकास एकरारनामा (डिवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) को पढ़कर, पढ़वाकर सुन समझकर बिना किसी जोर या दबाव के स्वस्थ्य मन एवं दिमाग से अपने–अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारो से विचार विमर्श कर इस पर हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहगण का हस्ताक्षर–

1. प्रवीण कुमार
पिता : रविन्द्र सिंह
पता सिरनामां
थाना वैना
जिला नालन्दा
2/11/2015

2. Vishwanath Singh
S/o Late Singheshwar Singh
E- 13, P.C. Colony
Kankarbagh

Ashwini Kumar
2.11.XV

A. Sinha 2/11/15
(प्रथम पक्ष)

भू–स्वामीगण का हस्ताक्षर

M/s Sumanglam Construction
Mukesh Kumar.
2/11/2015
(द्वितीय पक्ष)

बिल्डर का हस्ताक्षर

Typed by
02.11.15

Sushil Kumar Sinha
Advocate
C.B.A., PATNA
Reg. No.-4062/96

11

जमा पर्ची/Pay-in-slip नकद/अंतरण/CASH/TRANSFER

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

शाखा/Branch. _____
दिनांक/Date 2/11/15 20__

खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू खाता/अवर्त्ती जमा/कैश क्रेडिट खाता/सावधि ऋण खाता सं०/Type of Account : SB / CA / RD / CC / DL / TL A/C. No.

0	1	1	0	4	9	7	5	4	0	4

के बैंक खाते में जमा करने हेतु/For the credit of the Bank Account of ~~Mon Kar~~

नकद/चेकों के विवरण/पर्ची की दूसरी ओर/ Details of Cash/Cheques/ Overleaf)	राशि/Amount रु०/Rs.	पै०/P.
खाते में नकद जमा/Cash Deposit in the account	300	-00
नकदी रखरखाव शुल्क /Cash Handling charges		
कुल जमा/Total Deposit		

रुपये (शब्दों में) / Rupees (in words) ~~Mon Kar~~

(कार्यालय उपयोग हेतु / FOR OFFICE USE)

एस.डब्ल्यू.ओ./ S.W.O.	रोकड़ अधिकारी/पासकर्त्ता अधिकारी Cash Officer/Passing Officer

कूट सं० Code No. 596 / 2005964 / Satya/ 5 Lac.

दिए खाते के

खाते पी

अन्दर मो० _____ शब्दों में (रू० _____) मात्र

चतुर्थ प्रति
(कोषागार कार्यालय हेतु)

बिहार सरकार
निबंधन विभाग

गैर मानक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम/पता M/S Sumangalam Construction, at Defence Colony, Kankarbagh, Patna
(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है)
2. दस्तावेज का प्रकार Development Agreement
3. निबंधन कार्यालय Patna Sadar
4. बैंक का नाम एवं शाखा SBI Patna
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण _____

क्र०सं०	भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम
(क)	स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष-103-दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना-उप शीर्ष 0001, सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई-7549 सकल प्राप्तियाँ **विपत्र कोड-R0030021030001**	2,97,040
(ख)	निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-उप मुख्य शीर्ष-03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष-104-दस्तावेजों को पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष 0001, प्राथमिक इकाई-7549 सकल प्राप्तियाँ **विपत्र कोड-R0030031040001**	20,000
(ग)	भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष-0029 भू राजस्व लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष-0006 अन्य मदें-प्राथमिक इकाई-7549 भूमि निबंधन शुल्क से आय **विपत्र कोड-R0029008000006**	1
	भुगतान का माध्यम : नगद/चेक/ड्राफ्ट कुल राशि शब्दों में ~~Mon Kar~~ कुल योग	3,17,040

स्थान Patna
तारीख 2/11/2015

जमाकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।
चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी।

FOR USE OF THE BANK

स्क्रौल नं०_____तारीख_____उपर्युक्त कॉलम संख्या 05 में दिए गये विवरण के अनुसार रु०_____/ शब्दों में_____प्राप्त किया।

317040

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज जमा करने का विवरण

बैंक में संधारण हेतु
जमाकर्त्ता का पता : _____
राशि रू० _____/शब्दों में _____एस्को लेखा सं० :
जमा करने की तिथि :
बैंक स्क्रौल सं०

बैंक की प्राप्ति एवं मुहर

9431363883 (owner-1)
7042279062 (owner-2)